


22.11.2024:-पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन
पाया प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र में कोई
कार्यवाही नहीं कि जा रही है प्रार्थी अधिवक्ता को
बार बार नोट करवाया गया। उपस्थित नहीं आए।
प्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई।
आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन
उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित
नहीं आने के कारण प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अदम
पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

